न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 104 / 2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. दीपाराम पुत्र भलाराम वयस्क
2. भानाराम पुत्र भलाराम वयस्क
3. मगाराम पुत्र भलाराम वयस्क
4. जैतीदेवी पत्नि भलाराम वयस्क
5. दुदाराम पुत्र चिमाराम वयस्क
6. धनाराम पुत्र चिमाराम वयस्क

जातियान मेगवाल निवासी टाको की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा ।

1. रेखाराम पुत्र चिमाराम वयस्क जाति मेगवाल निवासी टाको की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री पाबूराम बेनीवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 01 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 19.12.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 74 रकबा 0.7928 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 5 का [illegible] 74/3 रकबा 0.7928 व प्रार्थीगण संख्या 5 का खसरा नम्बर 73, 74[illegible] 0.7766 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 74/2 रकबा 0.7928 हैक्टेयर भ[illegible]म टाको की ढाणी पटवार मण्डल पांपला कला तहसील सिणधरी केहि [illegible] 1 के पैरा नम्बर एक में वर्णित खसरा कायम होकर बटवारा अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई जो सही मगर ऑन लाईन करते समय गलत तरमीम कर दी गई है। पूर्व में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा सहमति से बटवारा उप तहसीलदार के आदेश कमांक/भू.अ./2010/8911 दिनांक 31/12/2010 की अनुपालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। तथा सभी खसरो का सडक से जोडा गया था मगर राजस्व कार्मिको की भूल सेगरीकेशन (ऑनलाईन) करते समय लट्ठा ट्रेस से विपरित गलत तरमीन कर दी गई । अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 74 रकबा 0.7928 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 5 का खसरा नम्बर 74/3 रकबा 0. 7928 व प्रार्थीगण संख्या 6 का खसरा नम्बर 73, 74/4 रकबा 0.0243 गै.मु. ढाणी, 0. 7766 हेक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 74/2 रकबा 0.7928 हैक्टेयर भूमि ग्राम टाको की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की लट्ठा ट्रेस अनुसार तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जा काष्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 21.11.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने भी अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 74 रकबा 0.7928 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 5 का खसरा नम्बर 74/3 रकबा 0.7928 व प्रार्थीगण संख्या 5 का खसरा नम्बर 73, 74/4 रकबा 0.0243 गै.मु. ढाणो, 0.7766 हेक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 74/2 एकबा 0.7928 हैक्टेयर भूमि ग्राम टाको की वाणी पटवार मण्डल पांपला कला तहसील सिणधरी केहि हैजो प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के पैरा नम्बर एक में वर्णित खसरा कायम होकर बटवारा अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई जो सही मगर ऑन लाईन करते समय गलत तरमीम कर दी गई है। पूर्व में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा सहमति से बटवारा उप तहसीलदार के आदेश कमांक/भू.अ./2010/8911 दिनांक 31/12/2010 की अनुपालना में तरमीम की है सही की है मगर ऑनलाईन सेगरीकेशन के समय लट्ठा ट्रेस अनुसार न कर गलत तरमीन कर दी गई विद्यमान पक्षकारान के कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा व रेकर्ड के लट्टठा ट्रेस से विपरित में कर दी गई जबकि मौके [illegible] नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है तथा जो [illegible] कब्जा काश्त की भूमि में इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम व मौके [illegible] में भारी भिन्न[illegible] से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है तथा तहसीलदार सिणधरी [illegible] दिनांक 21.11.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सिणधरी

कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटठा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 74 रकबा 0.7928 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 5 का खसरा नम्बर 74/3 रकबा 0.7928 व प्रार्थीगण संख्या 6 का खसरा नम्बर 73, 74/4 रकबा 0.0243 गै.मु. ढाणी, 0. 7766 हेक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 74/2 रकबा 0.7928 हैक्टेयर भूमि ग्राम टाको की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट कमांक 3025 दिनांक 21.11.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:05 IST
Reason: SelfAttested